भारत सरकार

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 912

28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्तर

**आई एम एस , बी एच यू का एम्स में उन्नयन किया जाना**

912. **श्री प्रमोद तिवारी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की इंस्टीच्‍यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आईएमएस), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और इससे जुड़े सुन्दर लाल अस्पताल को एम्स का दर्जा स्वीकृत करने की योजना है;

(ख) क्या इस संस्थान को एम्स घोषित करने के लिए आवश्यक सभी अवसंरचनाएं मौजूद हैं और उन्नयन के लिए काफी कम राशि खर्च की जानी है; और

(ग) क्या पिछली सरकार ने आई एम एस, बी एच यू को एम्स में उन्नत करने के इस प्रस्ताव पर सहमति दी थी?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क) एवं (ख): जी नहीं। पीएमएसएसवाई के तहत स्‍थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्‍स), एम्‍स अधिनियम के अधीन हैं। मौजूदा मेडिकल कॉलेज संस्‍थान को एम्‍स में उन्‍नत करने के लिए एम्‍स संशोधन अधिनियम, 2012 के तहत कोई प्रावधान नहीं है।

(ग): जी नहीं।

\*\*\*\*\*